न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री भंवरलाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 98/2019/(2019/00098) RAA**जिला–अजमेर**

सरपंच जरिये ग्राम पंचायत, पालरा एवं पंचायत समिति श्रीनगर, तहसील व जिला अजमेर।

———अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर
2. आयुक्त जरिये अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर, अजमेर आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/
एफ.–12 (सी)/13/292 दिनांक 27–09–2013

————

उपस्थित–
1. श्री विजय सिंह रावत ,अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक, प्रत्यर्थी संख्या–1
3. श्री गिरीश पारीक, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–2

निर्णय

दिनांकः–17–10–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर, अजमेर ने अपने पूर्व आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.–12 (सी) ( )/184 दिनांक 16–11–2012 को निष्प्रभावी किये बिना ही नवीन आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.–12 (सी)/13/292 दिनांक 27–09–2013 के द्वारा तहसीलदार, अजमेर की अनुशंषा सहित 68 ग्रामों की राजकीय सिवायचक भूमि अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 48 के प्रावधानों के अनुसार अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर की सीमाओं में सम्मिलत होने के कारण 68 ग्रामों के विभिन्न खसरा नम्बरान की सिवायचक भूमि को अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को हस्तांतरित कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 पर कथन किया है कि विवादग्रस्त आराजियात जो कि ग्राम पालरा तहसील अजमर में स्थित है, को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी ग्राम पंचायत के पक्ष में जरिये आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.–12 (सी) ( )/184 दिनांक 16–11–2012 को पारित किया जाकर आबादी विस्तार एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं यथा विद्यालय, चिकित्सालय आदि के लिए आबादी भूमि/हस्तांतरित किये जाने की अधिकारिता प्रदत्त किये जाने के सन्दर्भ में पारित किया है जो कि आदिनाक तक प्रभावी चला आ रहा है। जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा नवीन आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.–12 (सी)/13/292 दिनांक 27–09–2013 एकतरफा में अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित कर प्रत्यर्थी संख्या–2 के पक्ष में पारित किया जाकर वर्तमान आधार/रोटेशन जमाबंदी में इन्द्राज कर दिया जिससे उएक्त आदेश की जानकारी ग्राम पंचायत को नहीं हो सकी। जिला कलक्टर द्वारा पारित प्रभावशून्य आदेश के विरुद्ध किसी भी समयावधि के बाद चुनौती दी जा सकती है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी संख्या–1 के विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि ग्राम पालरा स्थित सिवायचक आराजी वर्किंग जमाबंदी अनुसार खसरा नम्बर

1978, 1979, 1980, 1983, 1992 मिन, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2034, 2035मिन, 2036 मिन, 2037, 2038, 2039मिन, 2040, 2046मिन, 2047मिन, 2048, 2049, 2050, 2051मिन, 2052मिन, 2053मिन, 2055मिन, 2064, 2082, 2783, 2784, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2795, 2065, 2070, 2071मिन, 2072, 2074, 2075, 2077, 2078, 2079, 2085, 2087, 2090, 2095, 2096, 2097, 2100, 2102, 2105, 2106, 2107, 2740, 2740/3016, 2741, 2744मिन, 2745, 2746, 2747, 2752, 2753, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2711, 2712, 2763, 2765, 2774, 2777मिन, 2778, 2779, 2781, 2797, 2799, 2824मिन, 2825 एवं 2793/2963 मिन कुल किता 93 कुल रकबा 1400–15–10 है, को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाके ग्राम पालना तहसील में स्थित आराजी को ग्राम पंचायत के पक्ष में जरिये आदेश क्रमांक 184 दिनांक 16–11–2012 पारित किया जाकर आबादी विस्तार एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं यथा विद्यालय, चिकित्सालय आदि के लिए आबादी भूमि/हस्तांतरित सिवायचक भूमि पर राज0 पंचायती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत पट्टे जारी करने की अधिकारिता प्रदान किये जाने के सन्दर्भ में जारी किया गया है जो आदिनांक तक प्रभावी चला आ रहा है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि जिसे अपीलार्थी ग्राम पंचायत के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने के बावजूद भी जिला कलक्टर अजमेर द्वारा बिना किसी अधिकारिता के वर्णित आराजी में से आंशिक भूमि को उक्त आदेश के प्रभावी होते हुए एवं बिना किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्व आदेश को निष्प्रभावी किये बिना ही नवीन आदेश क्रमांक 292 दिनांक 27–9–2013 पारित कर प्रत्यर्थी संख्या–2 के पक्ष में जरिये नामान्तरकरण संख्या 47 एवं 48 दिनांक 17–2–2014 से वर्तमान आधार जमाबंदी में त्रूटिपूर्वक इन्द्राज कर दिया जिससे अपीलाधीन आदेश अपीलार्थी ग्राम पंचायत के पक्ष में हस्तांतरित भूमि की हद तक प्रारम्भ से एवं आंशिक रूप से अवैध एवं शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि ग्राम पंचायत के हक हकूक एवं आधिपत्य की भूमि को गलत रूप से एवं प्रत्यर्थी संख्या–1 तहसीलदार अजमेर से रिपोर्ट तलब किये बिना ही प्रत्यर्थी संख्या 2 अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम दर्ज कर दिया जिससे समस्त ग्रामवासियान के विधिक हको एवं अधिकारों को मध्यनजर रखते हुए अपीलाधीन आदेश को प्रस्तुत अपील के माध्यम से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/ एफ.–12 (सी)/13/292 दिनांक 27–09–2013 को ग्राम पंचायत पालरा के पक्ष में पूर्व आदेश में हस्तांतरित सिवायचक भूमि की हद तक आंशिक रूप से निरस्त किया जाकर ग्राम पंचायत के पक्ष में पारित पूर्व आदेश क्रमांक 184 दिनांक 16–11–2012 की अनुपालना करने हेतु तहसीलदार, अजमेर को निर्देशित किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 के राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/ एफ.–12 (सी)/13/292 दिनांक 27–09–2013 विधिअनुसार राज्य हित, जनहित की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 68 ग्रामों की सिवायचक भूमि का हस्तांतरण अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम नियमानुसार जारी किया गया है। अपीलार्थी उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं है तथा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया है। अपीलार्थी द्वारा विलम्ब से अपील पेश की गई है जो मियाद बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–2 के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/ एफ.–12 (सी)/13/292 दिनांक 27–09–2013 विधिअनुसार राज्य हित, जनहित की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 68 ग्रामों की सिवायचक भूमि का हस्तांतरण अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम नियमानुसार जारी किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा उनके कार्यालय के आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/ एफ.–12 (सी)/13/292 दिनांक 27–09–2013 नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3(1067)नविवि/3/2013 दिनांक 14–08–2013 से नगर सुधार न्यास अजमेर को क्रमोन्नत करते हुए अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर का गठन होने एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 48 के प्रावधानानुसार प्राधिकरण की सीमा में सम्मिलित किये गये समस्त ग्रामों की राजकीय सिवायचक भूमियां स्वतः ही प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित हो जाने से तहसीलदार अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक 5971 दिनांक 17–9–2013 से अजमेर विकास प्राधिकरण की सीमा में सम्मिलित किये गये 68 ग्राम जिसमें ग्राम पालरा की सिवायचक भूमि भी सम्मिलित है, जिसको अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम हस्तांतरित करने की अनुशंषा की थी। तहसीलदार, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर 68 ग्रामों की राजकीय सिवायचक भूमि को अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 48 के प्रावधानों के अनुसार अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर की सीमाओं में सम्मिलित होने के कारण उक्त ग्रामों के खसरा नम्बरान की सिवायचक भूमि को अजमेर विकास प्राधिकराण अजमेर को हस्तांतरित करने के आदेश राज्यहित, जनहित की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पारित किये है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत पालरा को जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा जब नगर सुधार न्यास, अजमेर अस्तित्व में था तत्समय जिला

कलक्टर, अजमेर द्वारा ग्राम पंचायत पालरा को उनके कार्यालय के आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.–12 (सी) ( )/184 दिनांक 16–11–2012 द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी नगरीय क्षेत्रों में प्रशासन शहरों के संग अभियान–2012 प्रथम चरण 21–11–2012 से 25–12–2012 तक आयोजित किया गया था में नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत शासन विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प. 3(54)नविवि/3/201 दिनांक 17–10–12 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में ग्राम पंचायतों को पटटा देने की अधिकारिता में स्थानीय निकायों के मास्टर प्लान में दर्शाये गये परिधीय क्षेत्र में अवस्थित ग्राम पंचायतों को आबादी क्षेत्र में आबादी विस्तार एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं यथा विद्यालय, चिकित्सालय आदि के लिए आबादी भूमि हस्तांरित सिवायचक भूमि पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत पट्टे जारी करने की अधिकारिता प्रदान की थी।

चूंकि नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3(1067) नविवि/3/2013 दिनांक 14–08–2013 से नगर सुधार न्यास अजमेर को क्रमोन्नत करते हुए अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर का गठन होने एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 48 के प्रावधानानुसार अजमेर विकास प्राधिकरण का क्षेत्र व्यापक होने के कारण जिला कलक्टर अजमेर द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक कअ/राजस्व/ एफ.–12 (सी)/13/292 दिनांक 27–09–2013 से 68 ग्रामों की सिवायचक भूमि के खसरा नम्बरान को अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को तहसीलदार, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर हस्तांतरित करने के आदेश पारित किये है। उक्त आदेश पारित होने से पूर्व का आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.–12 (सी) ( )/184 दिनांक 16–11–2012 स्वतः ही निरस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा राज्यहित एवं जनहितार्थ क्षेत्र के विकास के मध्यनजर रखते हुए पारित आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/ एफ.–12 (सी)/13/292 दिनांक 27–09–2013 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टरी एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/ एफ.–12 (सी)/13/292 दिनांक 27–09–2013 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17–10–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर